

Form No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम चित्तौड़गढ़

वण्डर सीमेंट

बनाम

पोखरलाल वगैराह

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र

नं० 117

सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.04.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी ने आदेशिका पर NOT PRESS अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलना चाहती है अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विद्ने को सुना गया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का चिंतन-मनन किया। प्रार्थी कम्पनी अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विद्नेल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुना गया।</p> <p style="text-align: center;">-SD- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 12.04.2022</p>	

